

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना।

संख्यांक 235/19

दिनांक 12-2-04

(96)

(18)

408

प्रेषणका

श्री रवि मिश्रा,
प्रबंध निदेशक।

तेवामें,

आयुक्त एवं सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार,
पटना।

विषय:-
महाशय,

भूमि के लागू दर के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि पूर्ववर्ती पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा भूमि का दाम उद्योग विभाग के परिपत्र संख्या 12178 दिनांक 14/7/82 के आसरे में निर्धारित एवं लागू होता रहा है। वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए नयी दर निर्धारित किया गया है लेकिन निदेशक कक्षा की बैठक 1/4/2003 एवं 19/6/2003 के बीच नहीं होने के कारण अनुमोदित नहीं हो सका है। लेकिन वह निर्धारित दर पटना प्राधिकार में लागू है। दिनांक 19/6/2003 के प्रभाव से तीन प्राधिकारों के पुनर्गठन के फलस्वरूप प्राधिकार का स्वयं बकाया गया। पुनः उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक नीति 2003 नयी घोषित हुआ है। प्राधिकारों के बदले स्वयं तत्काल घोषित औद्योगिक नीति एवं उद्योग विभाग द्वारा गठित कोर कमिटी की अनुशंसा के आसरे के अन्त में तमीदा की जा रही है।

अतः पूर्ववर्ती पटना प्राधिकार द्वारा 1/4/2003 से लागू भूमि के दर जो उद्योग विभाग के परिपत्र संख्या 12178 दिनांक 14/7/82 पर अधारित है, पर तदमति प्रदान करना चाहेंगे।

विश्वात्मनाजन

Anital
प्रबंध निदेशक

12/2

पाठक
12/2